17135 / S.T. Gml

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक–22.04.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

कृते जिलाधिकारी जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग बागपत शा०सं० 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी०सी०–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी०सी०–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक–22.04.2022 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री रंजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बागपवत – उपाध्यक्ष
2. श्री संदीप पाल, खण्ड विकास अधिकारी, छपरौली – सदस्य
3. श्रीमति ज्योति चावला, खण्ड विकास अधिकारी, बड़ौत/खेकड़ा – सदस्य
4. श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनौली – सदस्य
5. श्री मूलचन्द, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत – सदस्य
6. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद – सदस्य
7. श्री रवीन्द्र पाल सिंह, मै० आरवी एसोशियेट्स, अहमदाबाद – सदस्य
8. श्री मौ० अली, मै० आरवी एसोशियेट्स, अहमदाबाद – सदस्य
9. श्री इन्तखाब आलम, मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, लखनऊ – सदस्य
10. श्री दीपक दुबे मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि०, लखनऊ – सदस्य
11. श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) – सदस्य
12. श्री भारत सिंह, जूनियर इंजीनियर, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बागपत – सदस्य
12. श्री अविनाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), बागपत – सदस्य सचिव

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी०पी०आर० विरचन कार्य:–

श्री अविनाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०–1197/

द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित कर हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जि पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27 एवं 07 कुल 108 ग्रामों में पा पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कर गये थे। इन्हे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.0 2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021 एवं दिनांक-22.10.2021 को राज्य पेयजल स्वच्छता समिति, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

शासनादेश सं०-03/2022/230/छियत्तर-1-2022-26सम/2019, दिनांक-08.02.2022 अनुसार रू० 2.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं र 2.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान जाती है। वर्तमान में फर्म द्वारा 07 नग (06 योजनायें एकल ग्राम योजना है एवं 01 ग्राम (ब्राहमण पुठी एवं फ्लाहर मेवला) समूह योजना) पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत कार्यालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई थी जिनमें से 06 डी०पी०आर० का सिविल खण्ड द्वारा तथा 01 डी०पी०आ का विद्युत यांत्रिक खण्ड स्तर पर परीक्षण कर आपत्तियां लगाकर नामित फर्म को डी०पी०आर० वापिस कर दी गय थी। अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी०पी०आर० में वितरण प्रणाली की ड्राइंग भी नही लगायी जिस कारण वितरण प्रणाली की गलियों का सत्यापन नही किया जा सका मानकानुसार पाये जाने पर इनको सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति हेतु खण्ड स्तर से प्रेषित कर दिया जायेगा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त इनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित फर्म के प्रतिनिधि श्री शर्मा को सख्त निर्देश दिये गये कि उक्त अवशे सभी डी०पी०आर० अविलम्ब विरचित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये तथा 2 पुनर्गठन पेयजल योजनाओं की भी डी०पी०आर० तुरन्त प्रस्तुत की जाये।

(iii) <u>त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट के निष्पादन की प्रगति की प्रगति:-</u>

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे.पी. 409 एस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉरिंग रोड, एस.जी हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कवर एग्रीमेन्ट सं०-166/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.202 के द्वारा निम्न 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादि किये जा चुके है। जिसके अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ तिथि 18.11.2021 प्रदान की गयी है:-

Sl. No.	Gram Panchayat	Tripartite Agreement No.	Gram Panchayat Scheme Approved Cost including 2% contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)	O&M Cost for 10 Years Including 2% Contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)
1	AHAMADNAGAR	35/DWSM/2021-22	169.11	42.54
2	AHERA	28/DWSM/2021-22	226.98	57.20
3	BARSIYA	33/DWSM/2021-22	165.22	41.56
4	BODHA	12/DWSM/2021-22	298.09	74.99
5	CHOULHADA	04/DWSM/2021-22	178.06	44.79
6	DARKAVDA	16/DWSM/2021-22	262.56	66.05
7	DHANORA SILVARNAGAR	06/DWSM/2021-22	459.81	115.67
8	FIROZPUR	20/DWSM/2021-22	175.36	44.11
9	GARHI KALANJARI	19/DWSM/2021-22	286.31	72.02
10	GORIPUR JAWAHARNAGAR	02/DWSM/2021-22	317.46	79.86
11	GOTRA	22/DWSM/2021-22	263.99	66.41
12	GUANA	26/DWSM/2021-22	275.25	69.24
13	HAMIDABAD Urf Nyagao	01/DWSM/2021-22	208.69	52.50
14	HASANPUR MASOORI	27/DWSM/2021-22	182.81	45.99
15	KHARKA	31/DWSM/2021-22	159.6	40.15
16	KHEDAKI	29/DWSM/2021-22	218.79	55.04
17	LALYANA	21/DWSM/2021-22	208.48	52.44
18	MALMAZRA	15/DWSM/2021-22	170.85	42.98
19	MUBARIKPUR	18/DWSM/2021-22	215.77	54.28
20	NANTHALA	03/DWSM/2021-22	201.81	50.77
21	PALRA	13/DWSM/2021-22	196.13	49.62
22	POORNPUR NAVADA	24/DWSM/2021-22	192.5	48.43
23	RAIPUR KHAMPUR	09/DWSM/2021-22	226.83	57.06
24	SANKROO	34/DWSM/2021-22	306.8	77.18
25	SHAFABAD	17/DWSM/2021-22	176.12	44.31
26	SHAHJAHANPUR	14/DWSM/2021-22	178.2	44.83
27	SHIKOHPUR	10/DWSM/2021-22	267.16	67.21
28	SINGHOLI TAGA	23/DWSM/2021-22	181.45	45.65
29	SISANA	11/DWSM/2021-22	337.17	84.82
30	TILPANI	32/DWSM/2021-22	229	57.61
31	BUDHEDA	05/DWSM/2021-22	263.77	66.36
32	GWALI KHERA	08/DWSM/2021-22	168.3	42.34
33	HARCHANDPUR	25/DWSM/2021-22	173.88	43.74
34	LADWARI	07/DWSM/2021-22	183.51	46.16
35	MUKARI	30/DWSM/2021-22	246.19	61.93

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही तथा सोशल

फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 36 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष निम्न 35 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं0–261 /ईडी/2021–22/II, दिनांक–09.02.2022 के द्वारा निम्न 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके है। जिसके अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ तिथि 09.02.2022 प्रदान की गयी है:–

Name of Firm - LC Infra Projects Pvt. Ltd.			Cover Agreement Number :-						District - Baghpat		
No.	Panchayat / Scheme	Tripartie Agreement No.	SLSSC COST			AFTER TAC COST			CONTRACT COST WITH DISCOUNT		Remarks
			ESTIMATED COST	WORK COST	O&M Cost	ESTIMATED COST	WORK COST	O&M Cost	WORK COST	O&M Cost	
	District - Baghpat										
1	Alawalpur	53/DWSM/2021-22	287.22	226.18	59.64	269.71	212.33	54.50	212.39	53.43	
2	Angadpur	52/DWSM/2021-22	304.68	239.92	61.76	281.97	222.04	55.97	222.04	55.55	
3	Bali	42/DWSM/2021-22	335.28	259.39	65.50	305.37	240.47	61.70	240.47	60.45	
4	Baoli	58/DWSM/2021-22	479.21	371.35	93.42	458.16	360.78	92.57	360.78	90.75	
5	Barawad	57/DWSM/2021-22	351.63	276.55	82.40	337.53	265.79	68.20	265.76	66.86	
6	Baru	71/DWSM/2021-22	353.23	273.52	151.60	353.23	273.52	70.18	273.52	68.50	
7	Bharal	50/DWSM/2021-22	180.96	142.50	46.85	165.92	131.44	33.73	131.44	33.07	
8	Bidhpur, Kandi	40/DWSM/2021-22	222.51	175.22	56.08	222.07	174.87	44.87	174.87	43.39	
9	Chandanheri	56/DWSM/2021-22	202.27	159.24	51.06	188.63	146.54	38.11	145.54	37.36	
10	Chauki	69/DWSM/2021-22	243.90	192.12	59.33	229.61	180.92	46.44	180.92	45.53	
11	Dadanagar	43/DWSM/2021-22	303.19	225.75	72.80	287.28	226.22	58.05	226.22	56.91	
12	Faizpur Ninana	38/DWSM/2021-22	376.05	291.59	73.35	355.52	279.96	71.54	279.96	70.43	
13	Ghitora	49/DWSM/2021-22	342.21	264.85	76.11	323.61	254.95	65.43	254.99	64.15	
14	Gyasal Ut Gaadh	37/DWSM/2021-22	348.92	274.68	85.69	332.57	261.89	67.20	261.89	65.82	
15	Hara Kheda	45/DWSM/2021-22	273.30	215.21	65.14	259.36	204.25	52.41	204.25	51.38	
16	Hewa Mirpur	68/DWSM/2021-22	342.71	265.34	66.75	320.27	252.20	64.71	252.20	63.44	
17	Jagos	70/DWSM/2021-22	275.94	217.29	67.40	262.26	206.60	53.01	206.60	51.97	
18	Jalalpur	55/DWSM/2021-22	272.73	214.77	56.77	258.82	203.81	52.30	203.81	51.27	
19	Jouhari	67/DWSM/2021-22	330.95	256.56	138.63	312.25	245.89	63.09	245.89	61.85	
20	Kheda Islampur	41/DWSM/2021-22	270.70	208.55	53.71	249.21	196.24	50.35	196.24	49.36	
21	Khekra Nagla	60/DWSM/2021-22	354.74	279.34	67.05	340.55	268.12	65.81	268.12	67.45	
22	Maruvatpur	64/DWSM/2021-22	395.26	306.03	78.51	374.25	294.71	75.62	294.71	74.14	
23	Nangla Badi	48/DWSM/2021-22	231.33	182.17	55.23	220.95	181.57	46.67	181.57	45.75	
24	Osika	54/DWSM/2021-22	273.74	210.55	125.63	254.71	200.57	51.46	200.57	52.45	
25	Pali	39/DWSM/2021-22	306.18	241.11	73.36	291.19	229.32	58.84	229.32	57.69	
26	Pabla	61/DWSM/2021-22	210.83	161.35	102.88	199.25	149.03	38.24	149.03	37.49	
27	Ramala	51/DWSM/2021-22	468.20	351.10	90.34	445.89	351.12	90.09	351.12	88.32	
28	Roshangarh	44/DWSM/2021-22	303.20	236.75	75.86	287.66	226.52	58.12	226.52	55.98	
29	Rusampur	59/DWSM/2021-22	253.68	199.76	62.93	240.10	189.07	48.51	189.07	47.35	
30	Sadikpur Jenmana	58/DWSM/2021-22	382.90	301.52	148.41	370.75	291.95	74.91	291.95	73.44	
31	Shahpur Baoli	65/DWSM/2021-22	442.64	345.49	179.45	414.30	326.25	83.71	326.25	82.07	
32	Siana	63/DWSM/2021-22	325.73	256.80	21.32	311.07	244.96	62.55	244.96	61.62	
33	Tanda	49/DWSM/2021-22	279.99	215.85	64.30	256.11	204.04	52.35	204.04	51.32	
34	Tikri Ud Nawada	45/DWSM/2021-22	210.92	166.09	52.78	196.26	154.55	39.56	154.55	38.88	
35	Viraj pur	47/DWSM/2021-22	202.81	159.70	51.18	189.02	146.82	38.15	146.84	37.44	
	Total		10745.57	8388.30	2845.01	10169.95	8003.81	2063.69	8003.81	2013.42	

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार कवर अनुबंध के अनुसार 35 पेयजल योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही यथा सॉयल टैस्टिंग, डिजाइन/ड्राइंग की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त निर्माण

(iv) <u>कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-</u>

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 84 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक 71 योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित हुये है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के आवरण अनुबंध सं0-188/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.2021 में निहित 35 पाइप पेयजल योजनाओं एवं आवरण अनुबंध सं0-26/ईडी/2021-22/II, दिनांक-09.02.2022 में निहित 35 पाइप पेयजल योजनाओं इस प्रकार कुल 70 आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 40 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 02 नग नलकूप का ही विकास कार्य किया गया है तथा 9 नग पर नलकूप के विकास का कार्य प्रगति पर है। साथ ही 04 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन हैं तथा आठ ग्रामों में 14.70 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 581 गृह संयोजन ही दिये गये हैं। उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित हैं। ग्वालीखेडा ग्राम की वैटिड कराकर डिजाइन/ड्राइंग प्राप्त हो गया है जिसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही हैं। कराये गये कार्यो के सापेक्ष रू. 5.97 करोड़ का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गहन रोष प्रकट किया गया तथा फर्म को तीव्र गति से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्माण एजेन्सी एवं नामित आई0एस0ए0 से समन्वय स्थापित कर जल जीवन मिशन के कार्यो में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये तथा जल जीवन मिशन के कार्य जिन-जिन ग्रामों में चालू हो गये है उनकी सूची समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(V) <u>100 दिन के लक्ष्यों की प्रगतिः-</u>

क0सं0	कार्य का नाम	लक्ष्य	प्रगति
1	ट्यूबवैल	36	40 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 02 नग नलकूप का ही विकास कार्य किया गया है तथा 9 नग पर नलकूप के विकास का कार्य प्रगति पर है।
2	वितरण प्रणाली	107.50 कि0मी0	14.70 कि0मी0 पूर्ण कर ली गयी हैं।
3	एफ0एच0टी0सी0	12400 नग	शून्य (581 गृह संयोजन दिये गये है)

100 दिन के लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये उक्त की निर्धारित पोर्टल पर ऑन-लॉईन सूचना अपडेट की जाये। उक्त समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

(vi) <u>भूमि उपलब्धताः-</u>

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 12 ग्रामों में

क्र0 सं0	कुल ग्रामों की संख्या जिनमें पेयजल योजनायें बनायी जानी है	स्वीकृत डी0पी0 आर0	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में स्वीकृत योजनाओं की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध हैं।	पूर्व से पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों	प्रस्तावित ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	भूमि अनुप
1	178	84	03	45	02 (अमरपुर गढी, झुण्डपुर)	32 ग्राम (15 पेयजल योजनायें)	12

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत नवीन पाईप पेयजल योजनाओं हेतु चयनित ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध नही हैं	पूर्व बैठक में भूमि की स्थिति	वर्तमान में भूमि की स्थिति
1	खेकडा	नंगला बहलोलपुर	भूमि उपलब्ध नही हैं।	नंगला बहलोलपुर ग्राम अस्तित्व में नही हैं। उक्त हेतु भूमि ग्राम काठा में उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि का प्रस्ताव प्राप्त कर एवं एन0एच0ए0आई0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये।
2	खेकडा	तिगरी	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु रास्ता नहीं है इस लिए हमने प्रधान जी से संपर्क किया है और वे जाँच करके बतायेगे	चिन्हित भूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नही हैं। उक्त हेतु रास्ता उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, खेकडा को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक रास्ता उपलब्ध नही कराया गया है।
3	पिलाना	गौरीपुर	कोर्ट केस होने के कारण लेखपाल द्वारा भूमि का प्रस्ताव निश्चित नही किया गया हैं।	भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया। जोकि अभी तक प्राप्त हैं।
4	बडौत	करीमपुर	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 250 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नही है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।
5	छपरौली	सूप राजपुर	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 300 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नही है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।
6	छपरौली	तिलवाडा	भूमि उपलब्ध नही हैं।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।
7	पिलाना	गुर्जरनगर	भूमि उपलब्ध नही हैं। प्रधान जी से संपर्क किया वे जाँच कर के हमें अवगत	गुर्जरनगर ग्राम अस्तित्व में नही है। उक्त हेतु भूमि ग्राम खट्टा प्रहलादपुर में उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त ग्राम की

8	छिनौली	संतनगर	भूमि उपलब्ध नही है।	सन्तानगर ग्राम अस्तित्व में नही है। उक्त हेतु भूमि ग्राम धरनावा में उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त ग्राम की डी0पी0आर0 हेतु बाद में निर्णय लिया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्न ग्रामों (जिनमें पूर्व में अन्य योजनाओं में पेयजलापूर्ति हो रही थी) में भी योजनाओं की डी0पी0आर0 बनाने हेतु फर्म द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत नवीन पाईप पेयजल योजनाओं हेतु चयनित ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध नही हैं	वर्तमान में भूमि की स्थिति
1	पिलाना	शौभापुर (मजरा)	भूमि उपलब्ध नही।
2	छिनौली	हिम्मतपुर	भूमि उपलब्ध नही।
3	बड़ौत	माढ़ी (मजरा)	भूमि उपलब्ध नही।
4	छपरौली	नांगल	भूमि उपलब्ध नही।

इस प्रकार उपरोक्तवत् 12 ग्रामों के जलकल परिसरों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जानी शेष है। उक्त ग्रामों में प्राथमिकता पर भूमि की व्यवस्था कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सम्बंधित लेखापाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त ग्रामों की भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 23 ग्रामों में भूमि के चिन्हांकन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया सम्बंधित लेखापाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(vii) <u>नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियां:-</u>

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक-702/W-314(Vol-3)/2021-22 दिनांक-08.07.2021 के द्वारा सूचना विभाग की अनुमोदित दरों की सीमा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थानों पर 6X2 आकार के पेयजल कार्यों के विभिन्न आयामों व पेयजल कार्यों के कुशल संचालन से सम्बंधित Slogan Wall Writing तथा Cultural Activity/Nukkad Natak के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आम-जन मानस को जागरूक करना, लोगों से संवाद करना, ग्राम सभा की खुली बैठक कराना, लोगो को पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को समझाने इत्यादि के कार्य इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) के माध्यम से प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अविनाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को Slogan Wall Writing के प्रस्ताव प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी करने के निर्देश दिये गयें।

जिलाधिकारी द्वारा VWSC/VAP एवं खाते खोलने हेतु वांछित कार्यवाही तत्परता से करने हेतु भी कड़े निर्देश दिये गयें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दोनों आई0एस0ए0 द्वारा जो भी Awarness Programme/ IEC Activites/ vwsc Meeting/Aurianiation/ Cultural Programme/ Gram Panchayt Meeting की जा रही

उनको दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रचारित कर प्रचार-प्रसार किया जाये तथा उनके साप्ताहिक बैठक में उनके फोट बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर इत्यादि सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

(viii) प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डो हेतु समस्त ग्राम पंचायत/क्षेत्रो की जल गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटरिंग हेतु WQMIS पोर्टल पर पंजिकृत करने के लिए प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यो (एस0एच0जी0/आशा/ए0एन0एम0/आंगनबाडी) को नामित किये जाने के सम्बंध में:-

समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है ए आपसे प्रत्येक ग्राम में 05 महिलाओं का चयन ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों के माध्यम से तत्काल कराने क अपेक्षा की गयी है। इन पांच महिलाओं में स्वयं सहायता समूहो की सदस्य, आशा, ए.एन.एम. आंगनबाडी कार्यकत्री अध्यापिका तथा 03 अन्य कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान, VWSC सदस्य, प्राइमरी अथवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विज्ञान छात्रों में से कोई 03 सदस्य) सम्मिलित होगे। इन आठ सक्रिय सदस्यों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर इस खण्ड को भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यतन मात्र खण्ड विकास अधिकारी, खेकडा द्वारा 35 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बडौत द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बागपत द्वारा 44 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-बिनौली द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड-छपरौली द्वारा 21 ग्राम पंचायतों एवं विकास खण्ड पिलाना द्वार 41 ग्राम पंचायतों के सदस्य नामित कर सूची उ0प्र0 जल निगम, बागपत को उपलब्ध करायी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एव स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि कैमीकल युक्त FTK तथा H2S Vials की आपूर्ति उ0प्र0 जल निगम के बागपत कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिन्हे इस कार्यालय के पत्रांक-3447/प्रति-3/183, दिनांक-13.09.2021 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया हैं।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से FTK के उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी जारी नही हुआ हैं। उक्त FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि (6 माह, जिसमें 02 माह समाप्त हो चुका है समाप्त होने से पूर्व इनका उपयोग किया जाना है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है वि FTK के उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खण्ड विकास कार्यालय के किसी कार्मिक को वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर दिनांक-13.10.2021 को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं। आई0एस0ए0 के सहयोग से इस खण्ड द्वारा FTK उपयोगकर्ताओं को विकास खण्ड-छपरौली में दिनांक-17.11.2021, विकास खण्ड बागपत में दिनांक-18.11.2021 विकास खण्ड बिनौली में दिनांक-26.11.2021, विकास खण्ड पिलाना मे दिनांक-24.12.2021 एवं विकास खण्ड बडौत मे दिनांक-29.03.2022 में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया है। FTK के चयनित उपयोगकर्ताओं को वांछितानुसार प्रशिक्षित कर FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि समाप्त से पूर्व उपयोग कर शासन की योजना का क्रियान्वयन वांछितानुसार कराया जाना हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को तदानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 875 / वि0-3 / 40 दिनांक 25-5-20
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै0 एल0सी0 इन्फा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोर्सिग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द, एनटीपीसी गेट-1, बीआईडब कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली-110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए-विंग, कृभको भवन, ए-10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला-गोतमबुद्धनगर।
21. मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, मेधज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ-2260121

Anil

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
'जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन' समिति बागपत